उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1

संख्या- 7/2017 /1762/22-1-2017-3/2017टीसी-।

लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के अधीन कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षकों को तात्कालिक प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती के स्थान से स्थानान्तरित करते हुए स्तम्भ-4 में उल्लिखित स्थान पर एतदद्वारा तैनात किया जाता है:-

क्र0	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	**2**	**3**	**4**
1.	श्री मिजाजी लाल	अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर	अधीक्षक, जिला कारागार, सोनभद्र
2.	श्री विपिन मिश्रा	अधीक्षक,जिला कारागार, कानपुर देहात	अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर
3.	श्री संतलाल	वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ	वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती
4.	श्री आर0 के0 जायसवाल	अधीक्षक, जिला कारागार, कन्नौज	अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी
5.	श्री अरूण प्रताप सिंह	कारागार प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त	अधीक्षक, जिला कारागार, कानपुर देहात
6.	श्री विधुदत्त पाण्डेय	अधीक्षक, जिला कारागार, वाराणसी	अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ
7.	श्री उमेश सिंह	अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी	सम्बद्ध-कारागार मुख्यालय, लखनऊ

2- निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वर्तमान तैनाती के साथ-साथ स्तम्भ-4 में उल्लिखित जिला कारागारों का अतिरिक्त कार्यभार सौपा जाता है:-

क्र0	नाम	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1.	श्री वी0पी0त्रिपाठी	वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, फतेहगढ़	जिला कारागार,कन्नौज
2.	श्री अम्बरीश गौड़	वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी	जिला कारागार, वाराणसी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त अधिकारी प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना नवीन तैनाती पर कार्यभार/अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

संख्या- 7/2017/1762(1)/22-1-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, कानपुर देहात, बस्ती, कन्नौज, बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, फतेहगढ़ एवं मेरठ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर, सोनभद्र, कानपुर देहात, बस्ती, कन्नौज, बाराबंकी, वाराणसी, लखनऊ, फतेहगढ़ एवं मेरठ।
4. उप महानिरीक्षक कारागार, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, बरेली एवं मेरठ।
5. सम्बन्धित अधिकारीगण द्वारा- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
6. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(पलबिन्दर सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।